प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 30.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

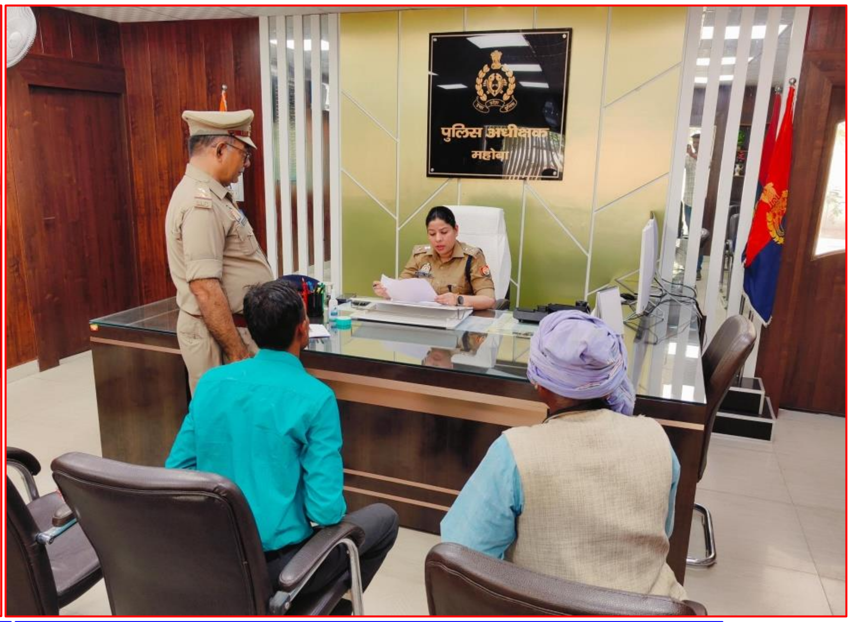

मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 30.05.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी

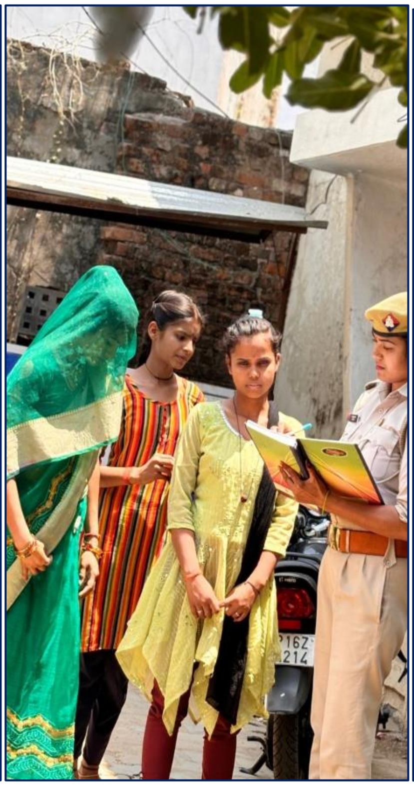

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में भ्रमण कर अग्निशमन उपकरण को चेक किया गया तथा मॉकड्रिल कर अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग करने की विधि को बताया गया।

ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 30.05.2024 को जनपद महोबा में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल्पहाड़ , चरखारी एवं पनवाड़ी का फायर ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं संबंधित को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने एवं उन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को मॉकड्रिल के माध्यम से बताया गया एवं सभी को अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुक करते हुए जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 30.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

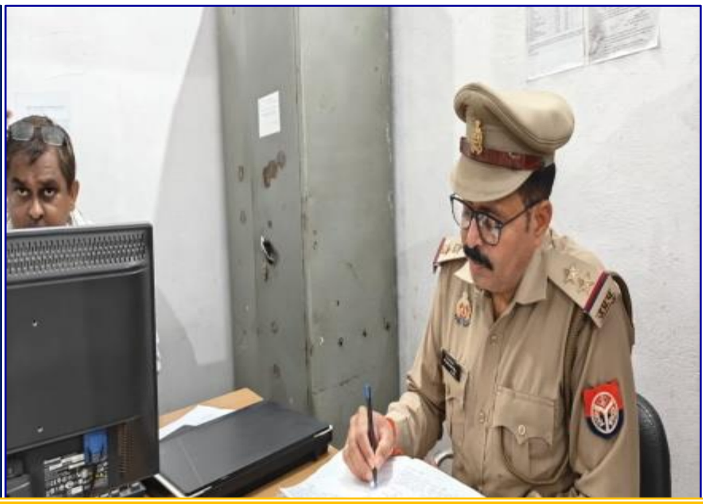

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 30.05.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने छेड़खानी के अभियोग से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद महोबा में श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौंड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गोपाल चन्द्र कन्नौजिया, प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया था गठित टीम के उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 54/24 धारा 363/366/376 भादवि0 व 04 पाक्सो एक्ट थाना खरेला से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त रामसिंह पुत्र ग्यासी यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिहुनी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को परथनिया पेट्रोल पम्प के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी
2. कां0 नीरज यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामसिंह पुत्र ग्यासी यादव उम्र 22 वर्ष
निवासी ग्राम बिहुनी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर

महोबा पुलिस

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने
एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद महोबा में श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित टीम के उ0नि0 चेतराम द्वारा मुखबिर खास कि सूचना पर ग्राम कहरा के पहले नहर पुलिया के पास से मु.अ.सं. 39/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त कृष्णकुमार उर्फ लाला महाराज पुत्र रमेशचन्द्र तिवारी उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया माल एक बोरी मे सरसो (लाही) 25 कि0ग्रा0 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्णकुमार उर्फ लाला महाराज पुत्र रमेशचन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 43 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 चेतराम
2. कां0 रमेश कुमार

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए । यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 30.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 03 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 05 अदद चोरी की मोटर साइकिलों को बरामद किया गया है-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कोतवाली महोबा में पंजीकृत मु0अ0स0 282/24 धारा 457/380 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि से सम्बन्धित अभियोग में सफलता प्राप्त करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः- 1.शनि चौरसिया पुत्र दिलीप चौरसिया उम्र करीब 25 वर्ष 2.भोला जाटव पुत्र राजेश कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम लौड़ी थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर म0प्र0, 3.अनिल राजपूत पुत्र मोहनलाल राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम सिंहपुर चरणपादुका थाना महाराजपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 को मुखबिर की सूचना पर वन विभाग आफिस के पीछे भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है।

मुकदमा उपरोक्त के अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अन्य 04 अदद मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है, अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ये सभी मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 284/24 धारा 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. मु0अ0स0 2**82**/24 धारा 457/380/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 284/24 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल 2.उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
3. का0 लोकेन्द्र कुमार 4.का0 अंकित दुबे

बरामदगी –

- मु.अ.सं. 282/24 धारा 457/380/411 भादवि मो0सा0 का रजि0नं0 **UP 95 P 3130** वाहन स्वामी जुबेर पुत्र इरशाद नि0 माथुरनपुरा, महोबा
- मु.अ.सं. 284/24 धारा 41/411 भादवि से सम्बन्धित वाहन चेचिस नं. 1.**Hero Honda CD Deluxe** रंग लाल चेचिस नं. **MBLHA11ERB9L24753**, 2. **Hero HF Deluxe** रंग काला चेचिस नं. **MBLHA11ATG9F19768**, 3. **APACHE** रंग सफेद चेचिस नं. **MD634KE46F2D24362**, 4. **Hero Honda splender Pro** रंग काला / लाला चेचिस नं. **MBLHA10ABBHD22021**

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने पारिवारिक मनमुटाव को दूर कर 02 परिवारों को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें द्वारा पति-पत्नी के 06 जोड़े जिनके बीच चल रहे पारस्परिक परिवारिक विवाद से संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं की काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी के 02 जोडें आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 रेखा देवी, म0का0 अनुप्रिया, म0कां0 आरती म0कां0 अनामिका, काउंसलर श्री शिवकुमार गोस्वामी, सुरेश चन्द्र जायसवाल आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।